

# फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

के सुलाल  
वाड



विपक्षी

नाथू

पत्रावली संख्या

195/17 सन्

मुकदमा

क्र.सं.	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>26/6/23 पत्रावली आज केम्प पेश हुई। प्रकरण में पक्षकारों को मध्य राजी-नामा पेश हो जाना अतः पत्रावली पूर्व आदेश की भांति न्यायालय हाजा में दिनांक 18/8/23 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;">[Signature] सहायक कलक्टर SDO, मावली</p> <p>18/8/23 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उच्च पक्षकारानु (उप.) अधि. वाकी द्वारा उपस्थित होकर वाकी फौज होने से प्रकरण में Not Press किया। अतः वाकी फौज होने एवं वारिस कागजी नहीं होने से प्रकरण को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली केवल सुमा होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निष्पत्ति लुनाया गया।</p> <div style="text-align: center;">  <p>सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p> </div>	<p>वकील को 10 दिनों के लिए Not Press [Signature] A.C.</p> <div style="text-align: right;">  </div>